वानुआतु का निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

वानुआतु के निवेश द्वारा नागरिकता (जिसे आमतौर पर "गोल्डन पासपोर्ट" के रूप में जाना जाता है) कार्यक्रम का उद्देश्य धनी व्यक्तियों को पासपोर्ट खरीदने की सुविधा प्रदान करना है, जिससे **सुरक्षा और पारदर्शिता के संबंध में चिंताओं को बढ़ावा** मिलता है।

- **वानुआतु का निवेश द्वारा नागरिकता कार्यक्रम:** इसका आशय व्यक्तियों को देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख वित्तीय योगदान देने के क्रम में देश की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देना है।
  - हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, **वानुआतु का पासपोर्ट 53वें स्थान (चीन 59वें** और **भारत 80वें स्थान** पर) पर है, जो **113 देशों के संदर्भ में वीज़ा-मुक्त पहुँच** प्रदान करता है।
  - टैक्स हेवेन के रूप में, वानुआतु में कोई व्यक्तिगत आयकर, पूंजीगत लाभ कर, उत्तराधिकार कर नहीं है, जिससे यह **उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों के लिये आकर्षक** बन गया है।
- **वानुआतु:** दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र, जिसमें 83 द्वीप हैं और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूज़ीलैंड के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी **पोर्ट विला** है।
  - यह **माउंट यासुर** जैसे सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है, वानुआतु में प्रायः ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती रहती हैं।
- **चिंताएँ:** अपराधी और धोखेबाज लोग जाँच से बचने और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच बनाने के लिये वानुआतु की नागरिकता हासिल कर लेते हैं।
  - ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों ने इस योजना को धन शोधन और कर चोरी का संभावित प्रवेश द्वार बताया है।
- **भारत में नागरिकता: भारतीय संविधान** (अनुच्छेद 5-11) नागरिकता को परिभाषित करता है। भारत केवल वित्तीय योगदान के आधार पर नागरिकता प्रदान नहीं करता है।

//

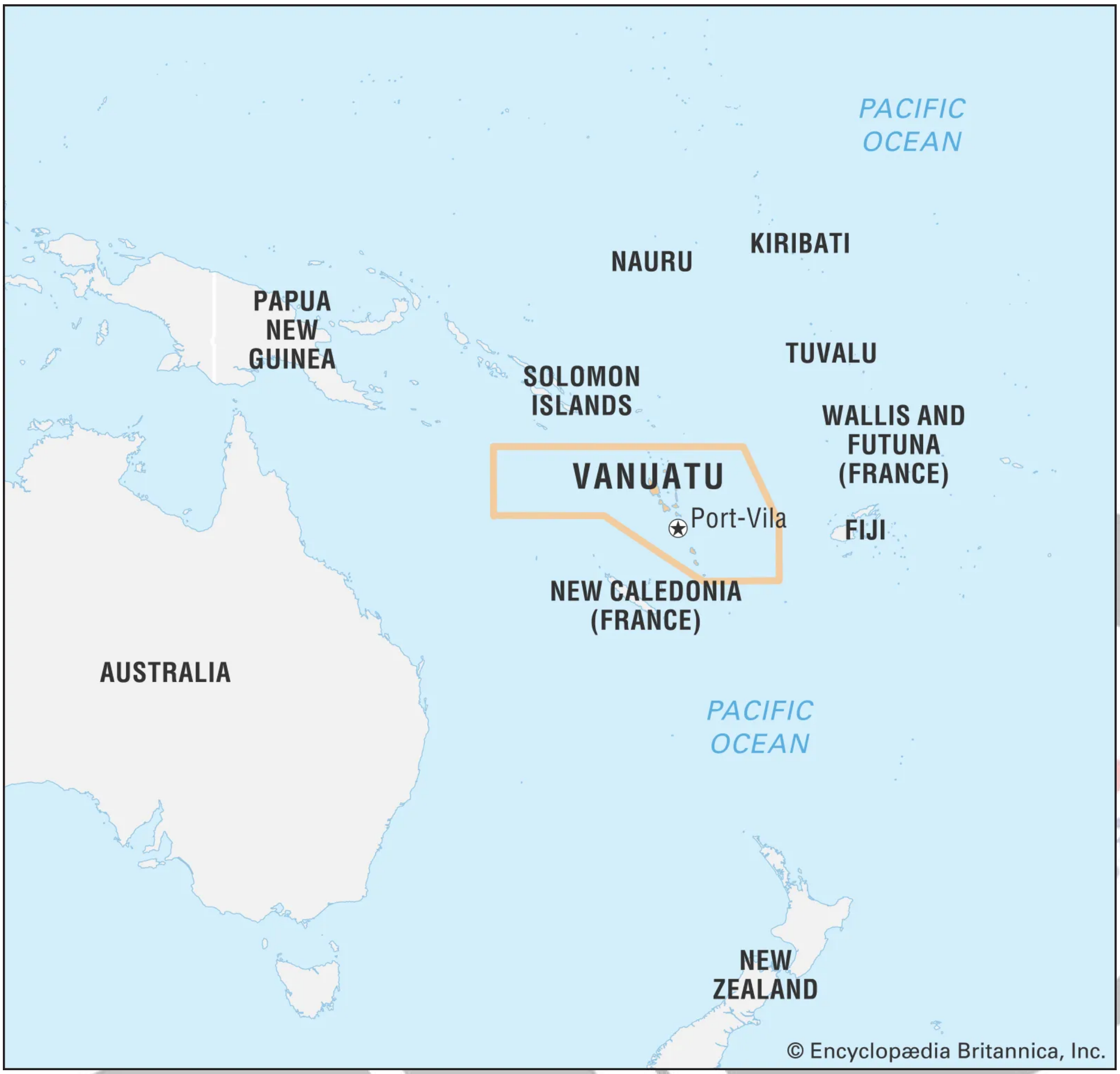

और पढ़ें: [टैक्स हेवेन के रूप में साइप्रस]()

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/vanuatu-s-citizenship-by-investment-program